S Post Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 27/09/2018

File No. Tour Programme/9/VC/2018/RU-III

सेवा में,

1. कलेक्टर,
जिला–छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश)

2. कलेक्टर,
जिला– नागपुर
(महाराष्ट्र)

विषयः दिनांक 16.03.2018 से 19.03.2018 को माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) तामिया, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश दौरे का कार्यवृत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 16.03.2018 से 19.03.2018 तक नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मध्य प्रदेश राज्य के तामिया, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा जिले के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

O/C

भवदीय,
(आर के दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलेड करें ।

29/09/18

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास - प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 16/03/2018 TO 19/03/2018 { CHHINDWARA AND NAGPUR (MP&MS) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार** **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार**
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 16 मार्च 2018** **से** **19 मार्च 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**तामिया, जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा, नागपुर,** **(महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्री नत्थनशाह विधायक जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा
2)	श्रीमती कांता ठाकुर अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाड़ा।
3)	श्रीमती सुकरती बाई अध्यक्ष पातालकोट नारी शक्ति महिला संगठन तामिया।
4)	श्री उजरसिंह भारती, अध्यक्ष जनपद पंचायत तामिया।
5)	श्री कमलेश उइके, जिला पंचायत सदस्य।
6)	श्री बालकदास चौहान, झिरपा तामिया।
7)	श्री सुन्दरलाल साहू तामिया।
8)	श्री शिशुपाल ठाकुर, तामिया।
9)	श्री मुकेश सोनी, जुन्नारदेव।
10)	श्रीमती गुड्डी शीलू जुन्नारदेव।
11)	श्रीमती मंजरी चान्दे, एनजीओ संचालिका तामिया।
12)	श्रीमती शचि कक्कड एनजीओ संचालिका नई दिल्ली।
13)	स्वसहायता समूह की करीब 1000 महिलाएँ।
14)	श्रीमती माधुरी बत्रा संचालिका एनजीओ जुन्नारदेव
15)	श्रीमती कविता परतेती तामिया।
16)	श्रीमती उर्मिला भारती अध्यक्ष भारिया विकास प्राधिकरण तामिया।
17)	श्री हरिशंकर उइके पूर्व विधायक जुन्नारदेव।
18)	श्री आदर्श शर्मा, जनप्रतिनिधि जुन्नारदेव
19)	श्री विष्णुशर्मा जनप्रतिनिधि
20)	श्री योगेश साहू दमुआ जनप्रतिनिधि
21)	कुमारी अंगूरी नागवंशी जिला पंचायत सदस्य
22)	श्री गुरूचरण खरे, जिला पंचायत सदस्य जुन्नारदेव।
23)	अन्त्योदय मेले के हितग्राही एवं बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण व शहरी नागरिकगण।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

24)	श्री गौरव राजपूत, श्री बबुआ कश्यप,
अधिकारीगण	
25)	श्री रोशन राय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा।
26)	श्री कमलेश राज तहसीलदार तामिया छिन्दवाडा
27)	श्री रोहित सावनूर, डिप्टी जनरल मैनेजर आएनजीर्सी बड़ौदा।
28)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव एवं तामिया।
29)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तामिया एवं जुन्नारदेव।
30)	तहसीलदार जुन्नारदेव।
31)	पर्सनल मैनेजर, वेटर्न कोल फील्ड लिमिटेड कन्हान एरिया डुँगरिया जुन्नारदेव।

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. छिन्दवाड़ा में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।
B. पातालकोट नारी शक्ति महिला संघ तामिया के महाअधिवेशन में सहभागिता।
C. श्री महिला कल्याण समिति जुन्नारदेव द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता स्वसहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा।
D. विकासखण्ड स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय मेला जुन्नारदेव में सहभागिता।
E. विश्रामगृह तामिया एंव डुँगरिया जुन्नारदेव में आमजनों से भेंट समस्या सुनवाई।
F. विश्रामगृह जुन्नारदेव में पत्रकारों से चर्चा एवं आयोग की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुतीकरण।

दिनाँक 17 मार्च 2018

1. छिन्दवाडा विश्राम भवन में अमरवाडा की बेटियों कुमारी प्रतिमा, सोनम, रिमझिम, एवं अन्य के द्वारा श्रीमती ललिता वर्मा के नेतृत्व में मुझसे संपर्क कर नाबालिग बेटियों का शारीरिक शोषण करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान करने के लिये समर्थन में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस पर मेरे द्वारा सहर्ष सहमति देते हुए बैनर पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की गई और सभी सरकारों से अनुरोध किया गया कि ऐसे दोषियों पर जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं उन्हें कठोर फाँसी की सजा का प्रावधन शीघ्र किया जावे।

(बेटी बचाने हेतु दुष्कर्मियों को कठोर सजा का प्रावधान करने के अभियान को समर्थन करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

2. दिनाँक 17 मार्च 2018 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तामिया में आयोजित पातालकोट नारी शक्ति महिला संघ के अधिवेशन में सहभागिता की गई।

(पातालकोट नारीशक्ति महिला संघ तामिया का महासम्मेलन में
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं आयोजक तथा अन्य अतिथि)

3. स्वसहायता की सचिव द्वारा संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उनके स्वसहायता समूह की संख्या 162 है जिसमें कुल 2118 महिला आदिवासी सदस्य हैं, **संघ का प्रतिवेदन संलग्न है।**

4. श्री रोहित सावनूर डिप्टी जी०एम० ओएनजीसी बडौदा द्वारा कम्पनी एक्ट के तहत लागू सी०एस०आर० पालिसी के अंतर्गत जनजाति के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यो तथा योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर यह भी निर्धारित करने का प्रयास किया जायेगा कि इस क्षेत्र में और किस प्रकार के कार्यो को महिला समूहों के माध्यम से किया जा सकता है और ओ.एन.जी.सी. की सी.एस.आर. मद की राशि इस क्षेत्र में किस प्रकार लाई जा सकती है इस पर उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा कर तय किया जावेगा।

5. उपस्थित स्व-सहायता समूह की जनजाति महिला समूहों से सीधा प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद किया गया जिसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि वे इस क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कर सकतो हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके।

(पातालकोट नारीशक्ति महिला संघ तामिया का महासम्मेलन में उपस्थित स्वसहायता समूह की सदस्या
एवं सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.और अन्य अतिथि)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

6. चर्चा में जो तथ्य एवं सुझाव प्राप्त हुए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

a. क्षेत्र में पशु पालन में बकरी का पालन आसानी से हो सकता है इसके लिये ओएनजीसी के अधिकारी द्वारा पशु बैंक की योजना भी प्रस्तावित की गई।

b. डेयरी प्रोजेक्ट पर भी विचार किया जा सकता है।

c. कम्प्यूटर की कक्षाएँ लगाकर प्रशिक्षित किया जा सकता है जिससे गाँव में कियोस्क खुल सकता है।

d. मधुमक्खी पालकर शहद निर्माण, जड़ी बूटियों की खेती एवं संग्रहण कर उसे बड़ी कम्पनियों को भी बेचा जा सकता है। उक्त सभी ज्ञान एवं तकनीकी जनजाति समाज के महिला एवं पुरूषों में परंपरागत रूप से मौजूद हैं जिसका उपयोग करने की आवश्यकता है।

e. ब्यूटीशियन का कोर्स संचालित कर महिलाओं का प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसकी भी क्षेत्र में संभावनाएँ विद्यमान है।

f. क्षेत्रीय विधायक ने सुझाव दिया कि यह क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और परम्परागत तरीकों से जनजाति परिवारों द्वारा पौष्टिक खाद्य पदार्थो का निर्माण कर खाया जाता रहा है जो कि बहुत ही उत्तर होता है, महुआ, जगनी के लड्डू, कोदो, कुटकी, इत्यादि को लोगों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है। ऐसे व्यंजनों को पातालकोट पोष्टिक भोजन के नाम से पैक करके या होटल खोलकर भी बेचा जा सकता है।

g. श्रीमती गुड्डी शीलू ने अवगत कराया कि क्षेत्र में काफी आसानी से स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा मशरूम की खेती की जा सकती है इसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था है। वे सभी महिलाओं की इस कार्य में सहायता करने को सहमत है।

h. क्षेत्र से रोजगार के अभाव में पलायन होता है इसको रोका जाना चाहिए। पलायन होने से आदिवासी मजदूर जहाँ जाते हैं वहाँ उनका विभिन्न प्रकार से शोषण भी होता है।

i. स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो उत्पाद तैयार किये जाते हैं उसके विपणन की समस्या आती है। विपणन की व्यवस्था की जावे तो जनजाति समाज के व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। विपणन के लिये ओएनजीसी मदद कर सकता है, यह तथ्य ओएनजीसी के अधिकारी द्वारा बताए गए।

j. जैविक उत्पादों की आज बहुत अधिक मांग है और यदि समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर जैविक खेती पर जोर दिया जाता है तो इससे अधिक लाभ लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में प्रयास करने की आवश्यकता है।

k. स्वसहायता समूह की महिलाओं को स्वेटर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाकर यदि उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो वर्तमान में हाथ बने स्वेटर का बाजार भी उपलब्ध है, यह कार्य कम लागत में घर पर सुविधानुसार किया जा सकता है।

l. एनआरएलएम अधिकारी द्वारा स्वसहायता समूहों को प्राप्त होने वाले लाभों से

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अवगत कराया गया और समूहों से अपील की गई कि वे सभी अपने अपने पंजीयन करवाकर बैंक में खाते खोलें ताकि उन्हें शासन से मिलने वाला 15000 रूपये का रिवाल्विंग फँड मिल सके। इसके साथ ही समूह को बैंक से रूपये एक लाख तक का लोन भी मिल सकता है जिसमें समय पर पुर्नभुगतान करने पर शासन द्वारा 8 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अर्थात समूह को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज ही देय होता है।

m. चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी समूह का पंजीयन नहीं हुआ है जिसकी वजह से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने समूह का पंजीयन करवाकर बैंक में खाता तत्काल अवश्य ही खुलवा लें ताकि उन्हें अन्य सभी लाभ प्राप्त हो सकें।

n. कुछ महिला समूहों की सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि खाता खोलने के लिये बैंकों द्वारा पेनकार्ड मांगा जाता है जो कि उनके पास नहीं है। इस पर उन्हें समझाईश दी गई कि आजकल पेनकार्ड आसानी से बन जाता है। समूह की अध्यक्ष और सचिव का पेनकार्ड शीघ्र बनवाया जा सकता है। इस संबंध में शासन एवं बैंक प्रबंधन से भी पत्राचार कर आसान रास्ता निकाला जावेगा।

o. समूह की सदस्यों द्वारा अपने अपने ग्राम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं जैसे पेयजल, जाति प्रमाणपत्र आँगनवाडी केन्द्र, राशन के कूपन, पेंशन, इत्यादि समस्याओं से मौखिक एवं कुछ लिखित में अवगत कराया गया जिन्हें कि प्रथक से संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र के माध्यम से सुचित किया गया।

7. मैंने अपने संक्षिप्त उदबोधन में समस्त महिलाओं को स्वालंबी, आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी एवं साहसी बनने के लिये प्रेरित किया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों, उनके लिये बनाए गए एक्ट इत्यारिद की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। जनजाति महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में भारत सरकार का यह आयोग भी तत्परता से संज्ञान लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करता हैं। अतः महिलओं ही नही अपितु पुरूषों को आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से आयोग तक पहुंचकर अपने प्रति हो रहा अत्याचार की आवाज उठाना चाहिए।

दिनाँक 18 मार्च 2018

8. श्री महिला कल्याण समिति, जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा स्व-सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मेरे द्वारा भाग लिया गया इस कार्यशाला का उद्देश्य स्वसहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं बाजार उपलब्ध कराने हेतु परिचर्चा के माध्यम से रास्ता

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निकालना था।

9. श्री महिला कल्याण समिति की संचालिका द्वारा अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया कि यह संस्था वर्ष 2001 से निरंतर कार्यरत है। संस्था द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र, बचपन बचाओ, बाल कल्याण समिति का संचालन, स्व-सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है।

(श्री महिला कल्याण समिति जुब्नारदेव द्वारा स्वसहायता समूह की सदस्यों के एक दिवसीय कार्यशाला में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

10. इस संस्था के 162 स्व-सहायता समूह संचालित होकर पंजीकृत हैं जिनके द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये कार्यरत है।

11. रोहित सावनूर डिप्टी जी एम ओएनजीसी बडौदा द्वारा कम्पनी एक्ट के तहत लागू सीएसआर पालिसी के अंतर्गत जनजाति के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यो तथा योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि स्व - सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर यह भी निर्धारित करने का प्रयास किया जावेगा कि इस क्षेत्र में और किस प्रकार के कार्यो को महिला समूहों के माध्यम से किया जा सकता है और ओ.एन.जी.सी. की सी.एस.आर. मद की राशि इस क्षेत्र में किस प्रकार लाई जा सकती है इस पर उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा कर तय किया जावेगा।

12. मेरे द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद किया गया, जिसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि वे वर्तमान में समूह के माध्यम से किस किस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करती हैं और इनके अतिरिक्त और कौन कौन से कार्य आसानी से किये जा सकते हैं।

   A. समूह की महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा अगरबत्ती निर्माण, पशु पालन, सेनेटरी नेपकिन की पैकेजिंग, दोना पत्तल निर्माण कार्य, सिलाई कार्य, स्कूल गणवेश निर्माण,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

मोमबत्ती निर्माण, खाद्य पदार्थो की मार्केटिंग के कार्य किये जाते हैं, किन्तु इनमें तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार की उपलब्ध हो जाती है तो ये कार्य और अच्छे एवं बृहद स्तर पर हो सकता है।

B. भवानी स्व सहायता समूह नगरपुर की सदस्यों ने दोना पत्तर निर्माण तथा उसका तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने का अनुरोध किया गया।

C. एकता स्व-सहायता समूह द्वारा सिलाई नशीन उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें शासकीय स्कूलों की यूनीफार्म निर्माण कर प्रदाय करने के आदेश मिलते हैं तो वे यह कार्य बहुत अच्छे से कर सकती है।

D. श्री नत्थन शाह विधायक जुन्नारदेव द्वारा आदिवासी व्यंजन निर्माण, बिक्रय, का सुझाव दिया गया।

E. महावीर स्व-सहायता समूह बुर्रीकला द्वारा मध्यान्ह भोजन का प्रदाय किया जाता है जिसके लिये उन्हें गैस सिलेण्डर की आवश्यकता है।

(श्री महिला कल्याण समिति जुन्नारदेव द्वारा स्व-सहायता समूह की सदस्यों के एक दिवसीय कार्यशाला में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.और अन्य अतिथि)

13. मैंने अपने संक्षिप्त उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों, उनके लिये बनाए गए एक्ट इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई। जनजाति समुदाय की सुरक्षा की दिशा में यह आयोग तत्परता से संज्ञान लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करता हैं। अतः महिलओं ही नही अपितु पुरूषों को आवश्यकता पड़ने पर आयोग तक पहुंचकर अपने प्रति हो रहा अत्याचार की आवाज उठाना चाहिए।

14. विकासखण्ड स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय मेला जुन्नारदेव में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शासन के समस्त विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभावित हितग्राहियों को लाभांवित करना है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(जनजाति विकासखण्ड जुन्नारदेव में विकासखण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेले में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.और अन्य अतिथि)

15. दीनदयाल अन्त्योदय मेले में जनपद पंचयत जुन्नारदेव, महिला बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव एवं दमुआ, शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लाभांवित हितग्राहियों को लाभांवित किया गया, **विवरण संलग्न है।**

16. इस अवसर पर शासकीय विभागों के प्रदर्शन स्टाल भी स्थापित किये गये जिनमें उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा उपस्थित हुए आम ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।

(जनजाति विकासखण्ड जुन्नारदेव में विकासखण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेले में उपस्थित जनसमुदाय एवं सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.और अन्य अतिथि)

17. उपस्थित जनसमूह को मैंने अपने उदबोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में जानकारियाँ प्रदान करते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आहवान किया गया।

18. वेस्टर्न कोल फील्स लिमिटेड कन्हान एरिया डुँगरिया तहसील जुन्नारदेव में आमजनों, जन प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएँ सुनी गई जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

A. स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में बच्चों के चिकित्सक नहीं हैं पदस्थापना के संबंध में अनुरोध किया गया।
B. वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा कन्हान क्षेत्र को बन्द किया जा रहा है

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिसकी वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने की आशंका निर्मित हो रही है। इसे रोकने का अनुरोध जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

C. बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों, कोल इंडिया के पूर्व कर्मी, पत्रकार, जनजाति प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि कन्हान एरिया का वेल्फेयर स्वास्थ्य केन्द्र की एक विंग बंद पड़ी है, इस भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य शासन द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो कि 30 बिस्तरों वाला चिकित्सालय है, का भवन जर्जर हो गया है। इस स्वास्थ्य केन्द्र में सभी का निशुल्क इलाज किया जाता है। इसलिये यदि कम्पनी का अनुपयोगी भवन राज्य शासन को दे दिया जाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुन्नारदेव का संचालन इसमें किया जा सकता है और सभी को इसमें निशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने भी सहमति प्रदान की है। इस संबंध में प्रबंधक संचालक को प्रथम से पत्र लिखा गया है।

D. जुन्नारदेव में न्यायालय है और शासन से एडीजे कोर्ट स्वीकृत है किन्तु स्थापित नहीं किया गया है। एडीजे कोर्ट की स्थापना शीघ्र स्थापित किया जावे।

E. वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड को म्ध्यप्रदेश शासन द्वारा बहुत सारी जमीन लीज पर आवंटित की है जिसमें से अधिकाँश का उपयोग अब कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है और उसपर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश शासन के पास शासकीय भवनों एवं अन्य उपयोग के लिये शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त होगा कि वेस्टर्न कोल फील्डस की अनुपयोगी भूमि वापिस मध्यप्रदेश शासन को की जावे ताकि उसका उपयोग शासन शासकीय हित में कर सके।

F. मध्यप्रदेश शासन को विभिन्न शासकीय भवनो, योजनाओं इत्यादि के लिये शासकीय भूमि की आवश्यकता होती है किन्तु इस आवंटन में छोटे झाड़ का जंगल दर्ज होने की वजह से उस भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि पूर्व में जब भूमि का अभिलेखीकरण हुआ था तब भले ही छोटे झाड़ का जंगल रहा हो किन्तु अब उस पर कोई भी पेड पौधे नहीं हैं किन्तु उसका आवंटन नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश शासन को ऐसी भूमि का मद परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

G. हिंगलाज मंदिर के पास तालाब निर्माण का उपयुक्त स्थल है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पास में ही स्थापित की जा रही ओपन कास्ट कोयला खदान से बड़ी मात्रा में मिट्टी निकाली जा रही है और उसे डम्प किया जा रहा है। यदि इस मिट्टी को हिंगलाज मंदिर के पास उपयुक्त स्थल पर कच्चा बाँध के रूप में डाल दिया जाता है तो आसानी से तालाब निर्मित हो सकता है। इस कार्य से क्षेत्र में जल संवर्धन के साथ ही साथ वन्य जीवों को भी पीने के लिये

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पानी उपलब्ध हो सकेगा।

19. विश्राम भवन में पत्रकारों से चर्चा कर आयोग की गतिविधियों, कार्यप्रणाली, संवैधानिक प्रावधानों, किये जा रहे कार्यो, एक वर्ष में किये गये कार्यो की प्रगति से अवगत कराया गया।

(जुब्बारदेव में आमजनों से भेंट उनकी समस्या सुनवाई एवं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

20. विश्राम भवन में अन्य आवेदकों ने जो आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार से है :-

a. मध्यप्रदेश की आशा-ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्त्ताओं के संगठन द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। ज्ञापन में लेख है कि उनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। आशा-ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे बच्चों का टीकाकरण में सहयोग, प्रसव पूर्व तथा पश्चात महिलाओं के टीकाकरण में सहयोग, प्रसव कराने में सहयोग, चिकित्सालय पहुँचाने का कार्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग, जन्म, मृत्यु, विवाह, जैसे महत्वपूर्ण पंजीयन कार्यो में सहयोग तथा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जाते हैं। उक्त महत्वपूर्ण कार्यो के लिये आशा कार्यकर्ता को कार्य के आधार पर बहुत ही कम मानदेय मिलता है वहीं आशा सहयोगी को मात्र 6200 रूपये मासिक मानदेय मिलता है जो कि आज के समय में अल्प से भी कम वेतन है।

(आशा ऊषा सहयोगिनियों से उनकी समस्याओं का ज्ञापन प्राप्त करते हुए एवं प्रबुद्ध नागरिक से जनजाति समुदाय के लिये सुझाव पर चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

संगठन की तीन सूत्रीय मांग हैं जिसके लिये वे आँदोलनरत हैं, वे इस प्रकार से हैं:-

i. **आशा-ऊषा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी को नियमित कर्मचारियों के समान शासकीय सेवक घोषित किया जाए।**

ii. **आशा सहयोगिनी को 15000 रूपये तथा आशा-ऊर्षा कार्यकर्ता को रूपये 10000 मासिक वेतन/मानदेय दिया जाए।**

iii. **आशा कार्यकर्ताओं के लिये प्रत्येक ग्राम में कार्य हेतु एक आरोग्य केन्द्र स्थापित किया जाए।**

आशा-ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन की माँगें विचारणीय हैं। मानवीय दृष्टिकोण से विचारकर ज्ञापन में वर्णित उक्त तीनों माँगों को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है।

b. पॉलीटेकनिक कॉलेज खिरसाडोह जिला छिन्दवाडा के माईनिंग एण्ड माईन सर्वेइंग के छात्रों सर्वश्री दुर्गेश उइके, ब्रजलाल धुर्वे, एवं अन्य 11 छात्रों के संयुक्त आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है। आवेदन में उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक हैं जो कि निर्धारित समयावधि में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से उनके अधूरे अध्ययन का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ग के विद्यार्थी मुश्किल से उच्चशिक्षा के तकनीकी कोर्स में पहुँच पा रहे हैं। मा.उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकों को सुझाव दिया गया है कि वे नियमानुसार अपनी अपील विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों की अपील को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक पुर्नविचार करते हुए इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानकर एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के निर्देश शासन स्तर से जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

c. श्रीमती चंद्रकांता पति श्री गोपीचन्द उइके निवासी शीलादेही गाजनडोह उमरेठ का आवेदन अपील भूमि विवाद संबंधी है। इस प्रकरण में आवेदक की भूमि पर शासकीय स्कूल निर्मित हो गया है और आवेदक की भूमि के सामने शासकीय भूमि है। स्कूल में अधिग्रहित भूमि के बदले आवेदक शासकीय भूमि जो कि सामने हैं चाहता है। इस संबंध में आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर निर्देशित किया गया है।

d. भारत सेवक समाज शिक्षा समिति रंगारी तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा द्वारा शिशुग्रहों के अनुदान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह संस्था जिले में बाल कल्याण तथा शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती हैं। यह संस्था जनजाति क्षेत्रों में शिशुग्रहों का सफलतापूर्वक विगत कई वर्षो से संचालन कर रही है। यह संस्था भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली से संबंद्ध है तथा छिन्दवाडा जिले में 61 तथा होशंगाबाद में 14 केन्द्रों का संचालन, इस प्रकार से कुल 75 शिशुग्रहों का संचालन करती है। संस्था का छिन्दवाडा जिले का अनुदान प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा में लंवित है। इस हेतु प्रथक से संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया गया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

e. श्री गुणेन्द्र कुमार दुबे पत्रकार छिन्दवाडा द्वारा केन्द्रीय जनजाति विभाग को देश की 75 पिछडी जनजाति समूहों का बेसलाईन सर्वे करवाने संबंध में सुझाव पत्र प्रस्तुत किया गया। इसे आयोग में प्रस्तुत कर परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

21. दिनाँक 19 मार्च 2018 छिन्दवाडा से नागपुर एवं दिल्ली प्रस्थान, प्रवास सम्पन्न।

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमाँक 6 में वर्णित A To O तक** दिये गये निष्कर्षो पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमाँक 12 में वर्णित A To E तक** दिये गये निष्कर्षो पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमाँक 18 में वर्णित A To G तक** दिये गये निष्कर्षो पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमाँक 20 में वर्णित आशा ऊषा सहयोगिनियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की** अनुशंसा की जाती है। इस स्बंध में प्रथक से पत्राचार किया गया है। • प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमाँक 20 में वर्णित B To E तक में** वर्णित आवेदन पत्र जो कि आयोग में भी प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)
सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi